



श्री पुष्कर सिंह धामी
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड सरकार



श्री सौरभ बहुगुणा
माननीय मंत्री कौशल विकास एवं
सेवायोजन, उत्तराखण्ड सरकार

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

प्रशिक्षण प्रखण्ड, व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, देहरादून, उत्तराखण्ड

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत

उत्तराखण्ड राज्य में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में
एन.सी.वी.ई.टी. मान्यता प्राप्त व्यवसायों में प्रवेश हेतु विवरणिका (निःशुल्क)

प्रवेश विवरणिका 2025



ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि - 27-6-2025
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि - 20-7-2025

**कौशल विकास एवं
सेवायोजन विभाग**

परिषद से पत्र व्यवहार का पता - तृतीय तल, राजकीय महिला आई.टी.आई परिसर 26 ई.सी. रोड, सर्वे चौक, देहरादून।

फोन नं: 7302663922 | 08068920368

Website: www.vpputtarakhand.in



कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग प्रशिक्षण प्रखण्ड



सचिव
श्री सी. रविशंकर
(आई.ए.एस.)

निदेशक
श्री संजय कुमार
(आई.ए.एस.)

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय
आई.टी.आई. हल्द्वानी परिसर रामपुर रोड,
हल्द्वानी उत्तराखण्ड
फोन नं: 05946-234866/235659

व्यावसायिक परीक्षा परिषद
तृतीय तल, राजकीय महिला आई.टी.आई.
परिसर, 26 ई.सी. रोड, सर्वे चौक, देहरादून।
फोन नं: 7302663922

Email - vpp.iti.uk@gmail.com

सौरभ बहुगुणा

मंत्री

पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन



उत्तराखण्ड सरकार

विधान सभा भवन, देहरादून

कक्ष संख्या 17,

दूरभाष : 0135-2665121 (का.)

फैक्स : 0135-2665080

पत्रांक : जे.सी.

दिनांक : 26.05.2025

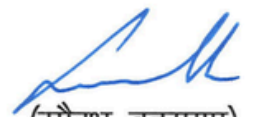
“संदेश”

यह जानकारी अपार हर्ष हो रहा है कि उत्तराखण्ड राज्य के प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत NCVET मान्यता प्राप्त विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न व्यवसायों में ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करते हुये प्रवेश की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया में नवीनतम तकनीक के सम्मिश्रण से आटोमेशन के प्रारम्भ तथा प्रक्रिया को पारदर्शी रखने व सूचना को सम्बन्धितों हेतु सुलभ कराये जाने की दिशा में सार्थक पहल है।

कौशल एवं नव विचार शाश्वत है एवं समाज तथा राष्ट्र इससे अंकुरित होकर समृद्ध होते हैं। इन्हीं तथ्यपरक आवश्यकताओं के दृष्टिगत युवा वर्ग को कुशल एवं तकनीक सम्पन्न बनाने के लिये 09 नवम्बर 2000 को नवोदित राज्य उत्तराखण्ड गठन के समय 63 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित थे। राज्य के युवाओं के कौशल विकास में वृद्धि कर रोजगार / स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु राज्य में 87 भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान संचालित किये जा रहे हैं।

राज्य के इन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र के लिये विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को निःशुल्क विवरणिका उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। इन संस्थानों में प्रवेश पश्चात गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के लिये प्रशिक्षण विभाग पूर्णतया तत्पर रहेगा।

मैं समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण अवधि तथा उसके पश्चात उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलमय कामना करता हूँ।


(सौरभ बहुगुणा)

उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं राज्य में सीमित औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये राज्य के युवाओं को कुशल कारीगर के रूप में प्रशिक्षित किया जाना अति आवश्यक है। इससे राज्य के युवाओं को औद्योगिक रोजगार के अवसर सुलभ होंगे और उनको स्वरोजगार के लिये भी प्रेरित किया जा सकेगा, ताकि राज्य के प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और राज्य से पलायन को भी रोका जा सके। इस प्रकार राज्य में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके लोगों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करके उद्योगों के लिये कुशल कारीगर उपलब्ध कराना एवं सभी शिक्षित युवाओं का कौशल विकास (**Skill Development**) करके औद्योगिक रोजगार व स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को कुशल कारीगर के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (**एन०सी०वी०ई०टी०**) एवं राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (**एस०सी०वी०ई०टी०**) से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। इन संस्थानों में विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष से लेकर 02 वर्ष तक हो सकती है और प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता 8वीं से लेकर 10वीं उत्तीर्ण तक होती है, जो कि विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। **Craftsman Training Scheme (CTS)** के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। विभाग द्वारा प्रथम बार राज्य में विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कतिपय व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु **Dual System of Training (DST)** के अन्तर्गत राज्य के प्रतिष्ठित औद्योगिक आस्थानों यथा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मॉटोकॉप्स आदि के साथ एमओयू किया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त योजना में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि का आधा समय आईटीआई में तथा आधा समय इन्डस्ट्री में व्यतीत करेंगे **Dual System of Training (DST)** के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है। इन संस्थानों में **National Skill Qualification Frame Work (NSQF)** संरेखित निर्धारित लेवल 3-4 तक के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य गठन के पूर्व प्रदेश में 63 आई०टी०आई० संचालित थी। राज्य के युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं जनमानस की मांग को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में राज्य में कुल 153 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 82 निजी संस्थान एवं 06 गैर विभागीय (समाज कल्याण / जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित) प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं। वर्तमान में प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत 87 रा०आई०टी०आई० राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (**एन०सी०वी०ई०टी०**) भारत सरकार नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संचालित है। उक्त के अतिरिक्त स्वतः रोजगार के दृष्टिगत वर्तमान में 26 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (**एस०सी०वी०टी०**) के अन्तर्गत भी संचालित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड के साथ-साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष में NCVET मान्य संस्थान, व्यवसायों, उनमें स्वीकृत सीट एवं प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल **www.dgt.gov.in** पर अध्यावधिक सूचनाएँ उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (**एन०सी०वी०ई०टी०**) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (**एन०सी०वी०ई०टी०**) द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित छात्रों को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाता है। परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार विभिन्न इंजीनियरिंग एवं नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त अखिल भारतीय व्यावसायिक वार्षिक परीक्षा प्रणाली के तहत प्रतिवर्ष जून-जुलाई माह में आयोजित की जाती है।



विभागीय क्रियाकलाप एवं उपलब्धियाँ

1. शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना -

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा शिशिक्षु अधिनियम-1961 अधिसूचित किया गया है। शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अभ्यर्थी / प्रशिक्षार्थी अर्धकुशल से कुशल कार्मिक में उच्चिकृत हो जाता है। इस प्रशिक्षण से जहाँ एक ओर अभ्यर्थी को प्रशिक्षण की अवधि में छात्रवृत्तिका प्राप्त होती है वहीं दूसरी ओर उसके कौशल विकास, औद्योगिक वातावरण में कार्य करने की क्षमता तथा आधुनिकतम तकनीकी की जानकारी का विकास होता है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक या दो वर्ष का शिशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नियोजित कराया जाता है। जिससे वह उद्योगों की आवश्यकतानुसार वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त कर कुशल शिल्पकार बन जाता है। उत्तराखण्ड में स्वरोजगार की दृष्टि से भी उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

2. सी० ओ० ई० (Centre of Excellence) की स्थापना

विभाग द्वारा प्रशिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता व रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अलग-अलग संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जा रहे हैं। इस क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काशीपुर में Schneider Electric Ltd के सहयोग से Advanced Electrical Technology का सी०ओ०ई० संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुल 2 मॉड्यूल में वर्तमान तक 171 प्रशिक्षणार्थियों में से 149 प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी से अधिक वेतन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। साथ ही विशिष्ट आई०टी०आई० रोशनाबाद हरिद्वार में Phillips India Ltd के सहयोग से Precision Manufacturing का सी०ओ०ई० स्थापित किया गया है। उक्त सी०ओ०ई० में कुल 2 मॉड्यूल में वर्तमान तक 134 प्रशिक्षणार्थियों में से 127 प्रशिक्षणार्थियों को सामान्य आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी से अधिक वेतन का रोजगार उपलब्ध कराया गया। इन केन्द्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों को फिनिशिंग स्कूल की तर्ज पर उन्नत और भविष्य की तकनीकों पर विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ, इण्डस्ट्री सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट के अवसरों की सुविधा भी मिल रही है।



साथ ही स्किल हब सहसपुर में 05 सेक्टरों / ट्रेनिंग एरिया एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर में 01 सेक्टर / ट्रेनिंग एरिया में सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस (सी०ओ०ई०) स्थापित किया गया है। जिसके अन्तर्गत उक्त सी०ओ०ई० का संचालन भी सम्बन्धित क्षेत्र की प्रतिष्ठित कम्पनी के माध्यम से ही किया जायेगा, जिससे आई०टी०आई० के प्रशिक्षणार्थियों के साथ साथ राज्य के युवाओं को -इण्डस्ट्री में उपयोग हो रही नवीनतम मशीनों पर प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा, जोकि उन्हें अधिक वेतन का रोजगार पाने में सहायक सिद्ध होगा। योजनान्तर्गत Precision Manufacturing एवं Machine Maintenance का सी०ओ०ई० Phillips के सहयोग से, Electrical Technology का सी०ओ०ई० Schinider के सहयोग से तथा Mechatronics/Robotics एवं Hydraulic-Pneumatic का सी०ओ०ई० Festo के सहयोग से स्थापित किया गया है।





Placement - Batch 1

Organizations

- Solutech Industries (I) Pvt. Ltd.,
- AvioHeliTronics
- InfoSystems Pvt Ltd.
- Chola Turbo Machinery International Pvt Ltd.,
- DAAS Electronics
- Automat Irrigation Private Limited
- Robotics Automation Solution

Job Roles

- VMC Operator
- VMC Operator Trainee
- CNC Operator
- Quality Technician/VMC Operator
- Sales Representative

Average Salary Range

INR 22,000 to INR 25,000
+ accommodation (in some cases)

Courses

Home and Building Automation (3 Months)

- Electrical Installation,
- Wiring standards and products
- Measuring instruments & tools Circuits & design,
- CCTV installation, Home automation

Building Management System (4 Months)

- Building automation,
- Fire and safety alarm,
- CCTV installation,
- Building management

Industrial Installation and Control (3 Months)

- Safety and security,
- Wiring standards, products,
- measuring instruments & tools Circuits and design,
- estimation & planning an installation, Motors/engines, integrated starter, electronic starter & drives
- Sensors used in Industry,
- Programmable logic controller, programming software,
- Interface of PLC to Sensors, etc



3. टाटा टेक्नोलॉजी (Tata Technologies) के साथ अनुबन्ध -

इण्डस्ट्री 4.0 के अन्तर्गत 13 संस्थानों यथा युवक देहरादून, जगजीतपुर हरिद्वार, पिरानकलियर, बडकोट, चम्बा, गोपेश्वर, हल्द्वानी, कालाढूँगी, सितारगंज, चम्पावत, अल्मोडा, पिथौरागढ़ एवं काशीपुर का उच्चीकरण टाटा टेक्नोलॉजी लि० के माध्यम से किया जा रहा है, चयनित संस्थानों में राज्य के युवाओं की रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु 08 दीर्घअवधि (1 से 2 वर्षीय) CNC Machining Technician, Engineering Design Technician, Virtual Analysis And Designer, Industrial Robotics & Digital Manufacturing Technician, Mechanic Electric Vehicle, Manufacturing process control & Automation Technician, Computer Aided Manufacturing (CAM) Programmer तथा Industrial Internet Of Things (IIOT) Technician, एवं इन दीर्घ अवधि पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित 23 लघु अवधि (270 घण्टे से 390 घण्टे तक) के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।



4. Dual system of Training (DST) के अन्तर्गत आई०टी०आई० के साथ-साथ इण्डस्ट्री में प्रशिक्षण-

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (Dual System of Training-DST) एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्योगों में कार्य करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को उद्योगों में प्रशिक्षण के दौरान नवीनतम मशीनरी पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। डीएसटी के अन्तर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी उच्च स्तर के व्यावसायिकता और तकनीकी कौशल का विकास करते हैं, जिससे उन्हें उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने की सम्भावना अधिक हो जाती है।

विभाग द्वारा प्रथम बार राज्य के 27 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कतिपय व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु Dual System of Training (DST) के अन्तर्गत राज्य के प्रतिष्ठित औद्योगिक आस्थानों यथा टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प आदि के साथ एमओयू किया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त योजना में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि का आधा समय आईटीआई में तथा आधा समय इण्डस्ट्री में व्यतीत करेंगे Dual System of Training (DST) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है। DST के अन्तर्गत एम०ओ०यू० करने वाले अधिष्ठानों द्वारा इण्डस्ट्री में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को स्टाइपेंड दिये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है, जो कि समय समय पर इण्डस्ट्री द्वारा निर्धारित किया जायेगा। वर्तमान में इण्डस्ट्री द्वारा स्टाइपेंड के रूप में लगभग ₹ 8000 से 10,000 प्रतिमाह के मध्य दिये जाने पर विचार किया जा रहा है।

रोज़गार की संभावना को बढ़ाने हेतु आईटीआई एवं इंडस्ट्री में संयुक्त रूप से DST के अंतर्गत प्रशिक्षण का अवसर

DUAL SYSTEM OF TRAINING

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST)

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST) क्या है?

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST) एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को आईटीआई में प्रशिक्षण के साथ साथ उद्योग में कार्य करके सीखने का अवसर प्रदान करता है।

इसमें छात्रों को उद्योगों में प्रशिक्षण के दौरान नवीनतम मशीनरी पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। डीएसटी के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी उच्च स्तर के व्यावसायिकता और तकनीकी कौशल का विकास करते हैं, जिससे उन्हें उद्योगों में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

उद्योग में प्रशिक्षण की समयावधि

ITI कोर्स की अवधि	उद्योग में प्रशिक्षण की अवधि
12 Months	3 to 6 Months
24 Months	6 to 12 Months

DST के दौरान उद्योग क्या प्रदान करेगा?



छात्रवृत्तिका

उद्योगों द्वारा छात्रवृत्तिका दिए जाने का प्राविधान



सुविधाएं

छात्रों को परिवहन एवं कैंटीन की व्यवस्था



सुरक्षा

सभी छात्रों को पीपीई और सुरक्षा जूते जैसी सुरक्षा सुविधाओं का प्राविधान



प्रशिक्षण

छात्र अपने कोर्स का आधा समय आई.टी.आई में एवं शेष समय इंडस्ट्री में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे

DST के दौरान छात्रों से क्या अपेक्षाएं हैं?



आयु सीमा

न्यूनतम 18 वर्ष एवं, अधिकतम 24 वर्ष



सहमति पत्र

स्वयं और माता-पिता से सहमति अनिवार्य होगी



व्यक्तिगत वीमा

अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना वीमा



मेडिकल टेस्ट

चिकित्सा परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा



यूनिफार्म और पहचान पत्र

आईटीआई का पहचान पत्र साथ रखना और DST के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है।



रूल्स एंड रेगुलेशन

DST के दौरान उद्योग के नियमों और विनियमों, सुरक्षा दिशानिर्देशों और शिफ्ट समय का पालन अनिवार्य है।

Dual System of Training-DST के अन्तर्गत संस्थानों / व्यवसायों का विवरण:-

क्र०	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	व्यवसाय का	डीएसटी हेतु इंडस्ट्री पार्टनर का नाम
1	रा०औ०प्र०संस्थान (यु०) देहरादून	इलेक्ट्रिशियन	हिमालयन पावर मशीन मैनुफैक्चरिंग, देहरादून
		फिटर	हिमालयन पावर मशीन मैनुफैक्चरिंग, देहरादून
2	रा०औ०प्र०संस्थान राजपुर रोड देहरादून	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
3	रा०औ०प्र०संस्थान विकासनगर	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
4	रा०औ०प्र०संस्थान जगजीतपुर हरिद्वार	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
		मशीनिष्ट	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
		वेल्डर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
5	रा०औ०प्र०संस्थान नासरन	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
6	रा०औ०प्र०संस्थान विशिष्ट हरिद्वार	वेल्डर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
		फिटर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
7	रा०औ०प्र०संस्थान पिरानकलियर	वेल्डर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
		फिटर	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, हरिद्वार
8	रा०औ०प्र०संस्थान रुद्रप्रयाग	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
9	रा०औ०प्र०संस्थान श्रीनगर	फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
10	रा०औ०प्र०संस्थान दुगडु	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
11	रा०औ०प्र०संस्थान नई टिहरी	फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर

क्र० सं०	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	व्यवसाय का नाम	डीएसटी हेतु इंडस्ट्री पार्टनर का नाम
12	रा०औ०प्र०संस्थान चम्बा	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
13	रा०औ०प्र०संस्थान बड़कोट	फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
14	रा०औ०प्र०संस्थान पिथौरागढ़	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
15	रा०औ०प्र०संस्थान काशीपुर	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		फिटर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
16	रा०औ०प्र०संस्थान दिनेशपुर	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
17	रा०औ०प्र०संस्थान बाजपुर	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
18	रा०औ०प्र०संस्थान जसपुर	इलेक्ट्रिशियन	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
19	रा०औ०प्र०संस्थान खटीमा	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
20	रा०औ०प्र०संस्थान सितारगंज	मेकेनिक मोटर व्हीकल	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
21	रा०औ०प्र०संस्थान विशिष्ट पंतनगर	वेल्डर (फैब्रिकेशन एंड फिटिंग)	टाटा मोटर्स, पंतनगर
22	रा०औ०प्र०संस्थान अल्मोड़ा	इलेक्ट्रिशियन	टाटा मोटर्स, पंतनगर
23	रा०औ०प्र०संस्थान हल्द्वानी	टर्नर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		मशीनिष्ट	टाटा मोटर्स, पंतनगर
		मेकेनिक ऑटोबाडी पेंटिंग	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
24	रा०औ०प्र०संस्थान टाण्डी	वेल्डर	टाटा मोटर्स, पंतनगर
25	रा०औ०प्र०संस्थान कालाढूंगी	मेकेनिक मोटर व्हीकल	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
26	रा०औ०प्र०संस्थान बिन्दुखत्ता	फिटर	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर
27	रा०औ०प्र०संस्थान रामनगर	फिटर	बजाज ऑटो लिमिटेड, पंतनगर

इस प्रशिक्षण प्रणाली का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक औद्योगिक वातावरण, अनुशासन तथा कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है ताकि वे ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से व्यावहारिक दक्षता अर्जित कर सकें, जो कि उनको रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश हेतु प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार एवं सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नानुसार मानक निर्धारित किए गए हैं:-

- **आयु सीमा** - Dual system of Training (DST) के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के समय अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 24 वर्ष के मध्य होनी अनिवार्य है। इस हेतु आयु की गणना सम्बन्धित वर्ष की 1 जुलाई से मान्य होगी।
- **शैक्षिक योग्यता:-** न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल उत्तीर्ण।
- **प्रशिक्षण अवधि में औद्योगिक भागीदारी** - कुल प्रशिक्षण अवधि का 25% से 50% भाग औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। यह प्रशिक्षण रोजगारोन्मुखी कौशल विकास में सहायक सिद्ध होगा।
- **सहमति पत्र (Consent Form)**- DST प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों / उनके अभिभावकों को यह लिखित सहमति प्रदान करनी होगी कि उन्हें कुल प्रशिक्षण अवधि का 25 से 50% तक का भाग संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान में करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यह सहमति पत्र (Consent Form) आवेदन के समय जमा करना अनिवार्य होगा।
- **पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र**- डीएसटी प्रशिक्षुओं को औद्योगिक प्रशिक्षण शुरू होने से 30 दिन पहले जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
- **चिकित्सा फिटनेस परीक्षण**-अभ्यर्थी को डीएसटी के अन्तर्गत प्रवेश से पूर्व सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान के व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र (ओएचसी) में निःशुल्क चिकित्सा फिटनेस परीक्षण में भाग लेना होगा।
- **सुरक्षा / पीपीई** - डीएसटी प्रशिक्षुओं को उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान सभी सुरक्षा पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) अनिवार्य रूप से पहनने होंगे, जो कि इंडस्ट्री द्वारा प्रदान किये जायेंगे।
- **शिफ्ट** - डीएसटी प्रशिक्षुओं को विभिन्न शॉप्स में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर / रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समय-समय पर सूचित किए गए शिफ्ट समय का पालन करना होगा।
- **अनुशासन** - डीएसटी प्रशिक्षुओं को अन्य कार्यरत लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और अनुशासित व्यवहार बनाए रखना होगा। शारीरिक हिंसा का कोई भी कार्य, भौतिक संपत्ति को नुकसान, अनधिकृत अनुपस्थिति, प्रशिक्षण कार्यस्थल से गायब होना, यौन उत्पीड़न आदि गैर अनुशासनात्मक गतिविधियां किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जायेगा।

➤➤➤ छात्रवृत्तिका - डीएसटी प्रशिक्षुओं को समय-समय पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित छात्रवृत्तिका प्रदान की जायेगी।

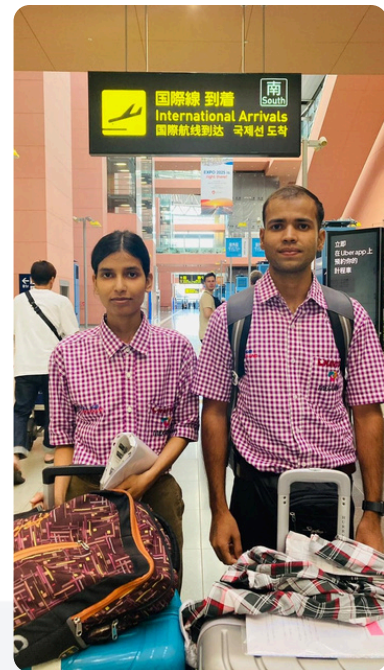
➤➤➤ भोजन और आवास - डीएसटी प्रशिक्षुओं को उद्योग में व्यावहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण के दौरान अपने रहने और भोजन की व्यवस्था अपने खर्च पर करनी होगी, जिस हेतु इंडस्ट्री द्वारा प्रतिमाह लगभग रु 8000 स्टाइपेंड के रूप में दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।



5. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना:-

सहसपुर (देहरादून) में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के उद्देश्य से की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत भाषा एवं संस्कृति प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा पोषित किया जाता है तथा शेष 80 प्रतिशत धनराशि का वहन अभ्यर्थी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आवासीय प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षणार्थियों के रहने एवं खाने का व्यय भार का वहन भी राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है। इस योजना के माध्यम से वर्तमान में जापान, जर्मनी, यूके एवं आयरलैंड के अलावा विभिन्न देशों में प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल प्रशिक्षण के अनुरूप सेवायोजित किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

"मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना" के माध्यम से जुलाई 2023 से जापान में केयर गिवर जॉब में सेवायोजित किये जाने हेतु प्रदेश के 33 युवा एवं युवतियों के प्रथम बैच का जापानी भाषा का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया, जिसमें से 23 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा जापान में अपनी सेवायें देना प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्तमान तक प्रदेश के 37 युवाओं/युवतियों द्वारा केयर गिवर एवं आतिथ्य के क्षेत्र में जापान जा चुके हैं। 23 अभ्यर्थियों द्वारा जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जिनका जापान जाने हेतु प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में प्रकोष्ठ द्वारा जर्मनी में नर्सिंग के क्षेत्र में 41 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण गतिमान है एवं जापान में केयर गिवर एवं आतिथ्य के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को सेवायोजित किये जाने हेतु विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है।



6. उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेन्ट परियोजना (UKWDP) -

राज्य के 24 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप विश्वस्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्थायें प्रदान करने योग्य सुविधायें / फैकल्टी / परिवेश प्रदान किये जाने के लिये विभाग द्वारा विश्व बैंक सहायित एक महत्वाकांक्षी "उत्तराखण्ड वर्कफोर्स डेवलपमेन्ट परियोजना" का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। राज्य के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मिकों को परिवर्तित औद्योगिक परिदृश्य के अनुसार तकनीक तथा प्रशिक्षण विधाओं में प्रशिक्षित किया जाना परियोजना का एक महत्वपूर्ण आयाम है। विश्व बैंक की सहायता से राज्य के 24 आई०टी०आई० को उच्चिकृत किया गया, योजनान्तर्गत 111 यूनितों का एनसीवीईटी भारत सरकार से सम्बन्धन प्राप्त किया गया, जिसमें राज्य में प्रथम बार नये रोजगारपरक व्यवसाय यथा Solar Technician (Electrical), Plastic Processing Operator, Catering & Hospitality Assistant, Tool & Die Maker (Dies & Moulds), Mechanic Two and Three-Wheeler, Welder (Fabrication & Fitting), Mechanic Machine Tool Maintenance का सम्बन्धन एनसीवीईटी भारत सरकार से प्राप्त किया गया।



7. ऑन द जॉब ट्रेनिंग-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को इण्डस्ट्री के वातावरण एवं कार्यप्रणाली को समझने हेतु इण्डस्ट्री में ऑन द जॉब प्रशिक्षण हेतु भी भेजा जा रहा है, जोकि उनको रोजगार पाने में सहायक सिद्ध होता है। औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रावासों को इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के परिप्रेक्ष्य में सुव्यवस्थित किया गया है। संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं का अच्छा स्तर सुनिश्चित किये जाने हेतु दूरस्थ संस्थानों के छात्रों को विभिन्न उद्योगों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार, काशीपुर, देहरादून एवं दिनेशपुर में छात्रावास का निर्माण किया गया है।



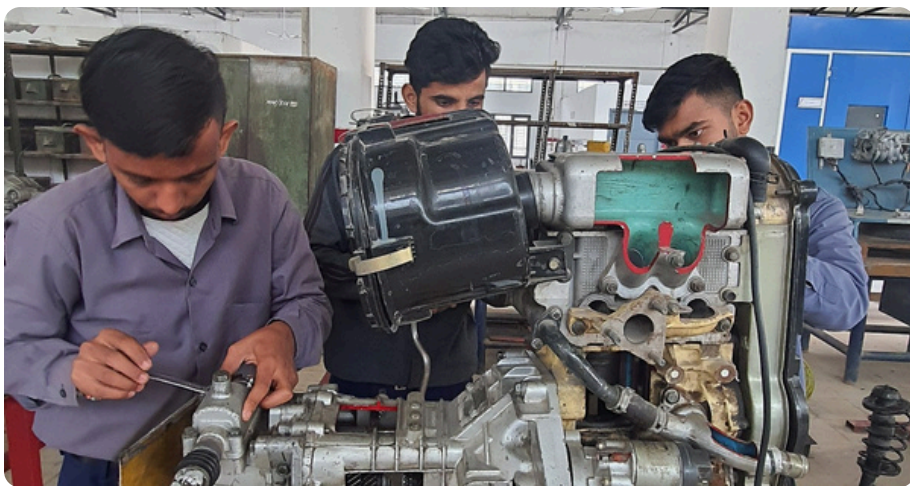
8. कौशल संवाद-

माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा समय समय पर राज्य के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों से ऑनलाईन / ऑफलाईन संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे हैं, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु अपने विचारों / सुझावों को संवाद में रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क गणवेश हेतु डी०बी०टी० के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।



9. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर रोड देहरादून में मै० हुंडई मोटर्स, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में मारुती उद्योग, सैमसंग, जैकवार, आइसर वोल्वो एवं होण्डा मोटर्स, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला देहरादून में सैमसंग, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बाजपुर में आनोवा टेक्नोलॉजी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की कार्यशाला तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में मारुती उद्योग, मै० टोयोटा किलोस्कर मोटर्स लिमिटेड के सहयोग से कार्यशाला के उन्नयन/विस्तारीकरण का कार्य करते हुये सम्बन्धित औद्योगिक आस्थान द्वारा स्थापित की गयी मशीनों पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा निदेशक, प्रशिक्षण विभाग-उत्तराखण्ड के मध्य 02 राजकीय आई०टी०आई० के प्रशिक्षार्थियों के कौशल विकास तथा उन्हें रोजगारपरक बनाने के लिए 03 साल का अनुबंध किया गया है। जिसमें सीएसआर के अन्तर्गत महिला आई०टी०आई० देहरादून तथा युवक आई०टी०आई० देहरादून में नवीनतम टेक्नोलॉजी के सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से सुसज्जित एक-एक विश्व स्तरीय लैब तथा स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये गये हैं, जिसमें आई०टी०आई० के प्रशिक्षार्थी अपनी ट्रेड के अतिरिक्त उद्योग जगत में वर्तमान में प्रचलित टेक्नोलॉजी में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। महिला आई०टी०आई० देहरादून में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई०सी०टी०एस०एम ट्रेड के प्रशिक्षार्थियों को नवीनतम टेबलेट्स मोबाईल स्मार्ट घड़ियों, टी०वी०, होम ऑडियो सिस्टम और युवक आई०टी०आई० देहरादून में आर०ए०सी० तथा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के प्रशिक्षार्थियों को रेफ्रीजरेटर, ए०सी०, वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन की मरम्मत तथा रख-रखाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के मापदण्डों को पूर्ण करने पर प्रत्येक महिला, गरीबी रेखा से नीचे तथा दिव्यांग प्रशिक्षार्थियों को रुपये 15000 / एवं प्रत्येक बैच में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षार्थी को सैमसंग द्वारा रुपये 20000 / की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।





प्रवेश हेतु अनिवार्यता :-

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षिक अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हों।

या

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षिक अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड से बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किन्तु वो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी हों।

प्रवेश हेतु आयु सीमा :-

- 01 जुलाई, 2025 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 30-06-2011 के बाद न हुआ हो। अभ्यर्थी हेतु अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।
- Dual system of Training (DST) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित है।

आवेदन शुल्क का विवरण :-

1. अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु :- ₹. 250/-
2. अन्य सभी वर्गों हेतु :- ₹0 350/-

विवरण पुस्तिका भली-भाँति पढ़कर ही ऑन-लाइन आवेदन करें।

अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश (निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें):-

शैक्षिक योग्यता:- केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन हेतु पात्र होंगे जिन्होंने व्यवसायवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त की हो। कृपया यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन केवल उपयुक्त योग्यता के अनुरूप ही भरा जाए।

शैक्षिक योग्यता के अनुसार अर्ह व्यवसायों हेतु आवेदन किया जाना:- यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अर्हता से इतर किसी अभ्यर्थी ने आवेदन किया है अथवा उसे काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटित की गई है, तो उसका प्रवेश/ आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना या अग्रिम कार्यवाही के स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

व्यवसाय में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन न किया जाना:- ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं अथवा वर्तमान में प्रशिक्षणरत हैं, वे सत्र 2025 में किसी अन्य व्यवसाय में पुनः प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। यदि इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी:- आवेदन के समय प्रशिक्षणार्थी को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। पारिवारिक सदस्य, मित्र या किसी अन्य व्यक्ति का संपर्क विवरण देना मान्य नहीं होगा। पंजीकरण उपरांत कोर्स अवधि में मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

एनटीसी प्राप्ति तक संपर्क विवरण यथावत:- प्रशिक्षण की समाप्ति एवं एनटीसी (National Trade Certificate) प्राप्त होने तक पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

डेटा अपलोड संबंधी सहायता:- भारत सरकार के SIDH पोर्टल पर डेटा अपलोड से संबंधित किसी भी समस्या के लिए प्रशिक्षणार्थी को संबंधित आईटीआई से संपर्क करना होगा।

प्रशिक्षणार्थी सत्यापन:- सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश की पुष्टि हेतु अपने संबंधित आईटीआई से दस्तावेजों का सत्यापन (Trainee Verification) कराना अनिवार्य है। सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात ही स्थायी पंजीकरण संख्या (PRN) जारी की जाएगी एवं प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात ही प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

दस्तावेजों में समरूपता:- सत्यापन के समय किसी भी असुविधा से बचने हेतु यह सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड एवं कक्षा 10वीं / एसएससी प्रमाणपत्र में प्रविष्ट विवरण एक समान हों। यदि कोई भिन्नता हो तो उसे अंतिम तिथि से पूर्व ठीक करा लें, अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा एवं इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

शैक्षिक अर्हता का अवलोकन:- विभिन्न व्यवसायों हेतु वांछित शैक्षिक योग्यता का विवरण उपलब्ध है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विवरण का भली-भांति अध्ययन कर काउंसलिंग के दौरान व्यवसायों का चयन करें।

आधार ई-केवाईसी हेतु निर्देश:- अभ्यर्थियों सत्यापन आधार ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाना है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सक्रिय हो। यदि मोबाइल नंबर निष्क्रिय है, तो उसे आधार डेटाबेस में यथाशीघ्र अद्यतन कराना होगा।

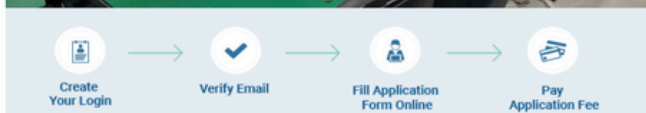
आवेदन हेतु सुविधा केंद्र:- प्रशिक्षण सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की असुविधा हो, के लिए ऑफलाइन आवेदन किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी जिले के नोडल संस्थान में स्थापित सुविधा केंद्र में उपस्थित हो कर ऑफलाइन आवेदन निर्धारित शुल्क अदायगी के साथ प्राप्त करते हुए ऑफलाइन आवेदन सम्बन्धित नोडल संस्थान में जमा कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया :- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को व्यावसायिक परीक्षा परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून की वेबसाइट <http://www.vpputtarakhand.in> अथवा www.dsde.uk.gov.in को खोलना होगा। होम पेज पर प्रदर्शित लिंक "आईटीआई (NCVET) सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन करें" को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। इस हेतु एक नया वेबपेज खुलेगा जिस पर आवेदन प्रक्रिया, ई-मेल कैसे बनायें आदि दिग्दर्शिकायें दी गयी हैं। प्रवेश प्रक्रिया 2025 हेतु अभ्यर्थी को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा जिसके लिये अभ्यर्थी का नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर, शैक्षिक योग्यता आदि विवरण भरने होंगे एवं साथ ही पंजीकरण हेतु एक पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकरण हेतु वैध ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर का होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि ईमेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर स्वयं का ही दें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की सूचना के आदान प्रदान में असुविधा न रहे। यदि किसी अभ्यर्थी की ईमेल आईडी पहले से न बनी हो तो उसे सर्वप्रथम अपनी ईमेल आईडी बनानी होगी जिसे वेबपेज पर दी गयी 'ई-मेल कैसे बनाये' पर क्लिक कर पूर्ण प्रक्रिया को समझा जा सकता है।

पंजीकरण हेतु वांछित प्रविष्टियों को भरने के उपरान्त रजिस्टर (REGISTER) पर क्लिक करें। तत्काल अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन (VERIFICATION) लिंक ईमेल द्वारा प्रेषित किया जायेगा एवं दिये गये मोबाइल नम्बर पर भी एस०एम०एस० प्रेषित किया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी की ईमेल आईडी एवं पासवर्ड की सूचना होगी।



ईमेल कैसे बनाये How to create Email विवरणिका 2025



Admission 2025-26

Register Login

Enter Name *

As per 8th/10th Certificate

Enter Email Address *

+91 Enter Mobile Number *

Enter OTP

Any Password of Your Choice *

78206e Enter Captcha

☐ I agree to receive information regarding my submitted application by signing up on Board of Vocational Examination, Department of Training, Government of Uttarakhand.

REGISTER

Register Login

Your Email *

Your Password *

Login via OTP

☐ Check to remember your login details

LOGIN

FORGOT PASSWORD?



अभ्यर्थी को अपनी ईमेल को खोलकर दिये गये लिंक को वेलिडेट ईमेल (VALIDATE EMAIL) पर जाकर वेरिफाई (VERIFY) करना होगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी को डैश बोर्ड प्रदर्शित होगा जिसमें Application form पर जाकर Apply Now पर क्लिक करेंगे।



Dashboard
All Application Form(s)
My Payments
My Queries
My Communication

Dashboard
Welcome Test

01 Application(s) In-Progress (No) Application(s) Completed

Government ITI (NCVET), Uttarakhand Application Form 2025

Application No. Application Submitted On Application Fees Application Fees ⓘ Continue Application →

Admission Information

Enrolment Journey
Application Initiated
Payment Approved

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की विधि :-

- 1. Eligibility criteria (शैक्षणिक अर्हता) :-** यदि अभ्यर्थी ने हाईस्कूल / व्यवसायवार शैक्षणिक अर्हता उत्तराखण्ड स्थित किसी विद्यालय से प्राप्त की हो तो Yes का चयन करें अन्यथा No का चयन करें।
- 2. Are you a native of Uttarakhand (क्या आप उत्तराखण्ड के मूल / स्थायी निवासी हैं) :-** Yes अथवा No का चयन करें।
- 3. Title :-** नाम के आगे Mr. अथवा Ms. आदि का चयन आवश्यक रूप से करें।
- 4. Applicant's Name (अभ्यर्थी का नाम) :-** इस कॉलम में अभ्यर्थी अपने नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखें जैसा की हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित है। नाम, मध्य नाम व उपनाम के बीच में एक स्थान खाली (Space) रखें।
- 5. Date of Birth (जन्मतिथि) :-** इस कॉलम में अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि उसी प्रकार लिखे जैसा कि हाईस्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। तिथि के लिए सर्वप्रथम वर्ष का चयन करे, तदुपरांत महीना अंत में दिन / तिथि (yyyy-mm-dd) का चयन करे।
- 6. E- Mail Address (ई-मेल आईडी) :-** पंजीकरण प्रक्रिया के समय दर्ज की गयी ई-मेल आईडी स्वतः ही इस कॉलम में अंकित हो जायेगी। स्वतः- ही इस कॉलम में अंकित हो जायेगा।
- 7. Mobile Number (मोबाईल नम्बर) :-** पंजीकरण प्रक्रिया के समय दर्ज किया गया मोबाईल नम्बर स्वतः ही इस कॉलम में अंकित हो जायेगा।

8. Father's Name (पिता का नाम) :- इस कॉलम में अभ्यर्थी अपने पिता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखें जैसा कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र में अंकित है। नाम, मध्य नाम व उपनाम के बीच में एक स्थान खाली रखें। नाम से पहले 'श्री' ना लगायें।

9. Mother's Name (माता का नाम) :- इस कॉलम में अभ्यर्थी अपनी माता के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में उसी प्रकार लिखें जैसा कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित है। नाम, मध्य नाम व उपनाम के बीच में एक स्थान खाली रखें। नाम से पहले 'श्रीमती' ना लगायें।

10. Reservation Category (आरक्षण वर्ग) :- अभ्यर्थी अपने से सम्बन्धित आरक्षण वर्ग (क्षैतिज आरक्षण) का चयन करें।

11. Sub Category (उपवर्ग) :- अभ्यर्थी अपने से सम्बन्धित आरक्षण उपवर्ग (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) का चयन करें। यदि अभ्यर्थी किसी भी उपवर्ग में नहीं आता है तो Not Applicable का चयन करें।

12. Aadhar Number (आधार संख्या) :- इस कॉलम में अभ्यर्थी अपने आधार नम्बर की प्रविष्टि करें।

13. Address for Correspondence (पत्र व्यवहार का पता) :- अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार का पता ऑनलाईन आवेदन में भरें। यदि अभ्यर्थी का पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता एक ही हो तो Yes का चयन करें अन्यथा No का चयन कर स्थायी पता भी अंकित करें।

Government ITI (NCVET), Uttarakhand Application Form 2025

Industrial Training Institute

Personal and Address Details Educational & Counseling Preference Upload Details Declaration Details

100% Complete (mandatory fields)

Step 1 of 5

Eligibility Criteria

Have you passed the Highschool or trade wise minimum qualification examination from any school situated in Uttarakhand? *

Yes

Are you a native (Sthai/Mool Niwasi) of the state of Uttarakhand? *

Yes

If Yes is selected, You would need to upload your Domicile as proof in further sections



Government ITI (NCVET), Uttarakhand Application Form 2025



Personal and Address Details



Educational & Counseling Preference



Upload Details



Declaration Details

100% Complete
(mandatory fields)

Step 1 of 5

Eligibility Criteria

Have you passed the Highschool or trade wise minimum qualification examination from any school situated in Uttarakhand? *

Yes

Are you a native (Sthai/Mool Niwasi) of the state of Uttarakhand? *

Yes

If Yes is selected, You would need to upload your Domicile as proof in further sections

Personal Details

Title *

Mr.

Applicant's Full Name *

Test

Date of Birth *

23/11/2005

Please select the Title carefully, it will be considered for your merit allotment

Email Address *

ashlakhli@gmail.com

Personal Mobile Number *

+91 7248688733

Father's Name *

xyz

Mother's Name *

abc

Reservation Category (Issued by Uttarakhand Govt.) *

SC

Reservation Sub Category - Horizontal *

Armed Forces/ Dependent of AF

The certification should be issued by Uttarakhand Govt. except for ' Armed Forces/ Dependent of AF'

Aadhaar Number *

123456789012

Address for Correspondence

Country *

India

State *

Uttarakhand

District *

Dehradun

Address Line 1 *

ddsfdsf

Address Line 2

sdfs

Pincode *

248001

In case your country doesn't have pincode/zipcode enter 0

Is Permanent Address Same As Address For Correspondence? *

☒ Yes ☐ No

City/ Village/town *

ddn

In case any city/ village/town name is not there in predefined list

SAVE & EXIT

NEXT

14. Gender (लिंग):- यदि आप पुरुष हैं तो पुरुष के विकल्प का चयन करें तथा यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला के विकल्प का चयन करें। ट्रांसजेन्डर का विकल्प भी उपलब्ध है।

15. Do You want opt for DST Course (डीएसटी सम्बन्धी व्यवसायों का चयन):- यदि अभ्यर्थी डीएसटी के अन्तर्गत व्यवसाय चयन करना चाहता है तो Yes अथवा चयन न चाहने की स्थिति में No का चयन करें। डीएसटी का चयन किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी इस हेतु आवश्यक दिशानिर्देश पढ़ कर एवं सहमति उपरान्त ही आवेदन करें।

16. Educational Details (शैक्षिक योग्यता का विवरण):- इस कॉलम में अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना होगा एवं शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही व्यवसाय अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु उपलब्ध होंगे। डीजीटी भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाला अभ्यर्थी ही आवेदन भरने के योग्य होगा। अभ्यर्थी को क्रमशः 8वीं, 10वीं, 10वीं (विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ) का विवरण आवेदन में भरना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरांत अंक तालिका सम्बंधित बोर्ड द्वारा सी.जी.पी.ए. के अनुसार निर्गत की जाती है, वे सी.जी.पी.ए. अंक को समतुल्य प्रतिशतांक में आंगणित किये जाने सम्बन्धी अंक तालिका पर दिये गये निर्देशों के क्रम में ही आंगणित करते हुए ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि करें।

17. Counselling Preference (काउन्सिलिंग हेतु वरीयता क्रम):- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी को जिलेवार, संस्थानवार, व्यवसायवार वरीयता क्रम में विकल्प लॉक / अंकित करने होंगे। अभ्यर्थी की मैरिट / रैंक के अनुसार उसके द्वारा चुने गये विकल्पों के आधार पर अभ्यर्थी को सीट का आवंटन होगा। अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 10 विकल्प वरीयता क्रम में लॉक किये जा सकेंगे। अभ्यर्थी को केवल वही विकल्प प्रदर्शित होंगे जिनकी वह शैक्षिक योग्यता रखता हो।

प्रथम काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों में से ही मैरिट रैंक के आधार पर आवंटन होगा। प्रवेश ना मिल पाने की स्थिति में अग्रेतर चरण की काउन्सिलिंग हेतु पुनः वरीयता विकल्प दिये जाने अनिवार्य होंगे।

18. Upload Details (अभ्यर्थी के अभिलेखों का ऑनलाइन अपलोड किया जाना):- अभ्यर्थी को अपनी नवीनतम पासपोर्ट फोटोग्राफ, 8वीं की अंकतालिका/प्रमाणपत्र, 10वीं की अंकतालिका / प्रमाण पत्र, आरक्षण वर्ग, उपवर्ग से सम्बन्धित प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। अपलोड की जाने वाली फाईल का अधिकतम 1024 के०बी० (01 एम०बी०) की फाईल ही अपलोड की जा सकती है।

यदि किसी अभ्यर्थी का अंकपत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमाणपत्र प्रक्रियाधीन हो तो इस प्रतिबन्ध के अधीन वह आवेदन हेतु पात्र होगा कि सीट का आवंटन होने के पश्चात् संबंधित संस्थान में प्रवेश के समय उसके द्वारा उक्त प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।





Personal and Address Details
Educational & Counseling Preference
Upload Details
Declaration Details

100% Complete
(Mandatory fields)

Step 2 of 5

Available Trade

Gender *

Male ▾

Select Qualification *

10th Pass ▾

Do you want to opt for DST course? *

Yes ▾

Please select the Gender carefully, it will be considered for your merit allotment.

I have read and understood the details provided in the attached PDF regarding the DST Trade. I hereby give my consent to apply for the DST Trade as per the shared information.

DST Trade PDF

*** शिफ्ट-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को विभिन्न शिफ्ट में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर / सिपेटिंग अधिकारी द्वारा समय-समय पर सुचित किए गए शिफ्ट समय का पालन करना होगा।

*** अनुशासन-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को अन्य कार्यरत लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और अनुशासित व्यवहार बनाए रखना होगा। शारीरिक हिंसा का कोई भी कार्य, भौतिक संघर्ष को मुकराना, अनधिकृत अनुपस्थिति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गायब होना, यौन उत्पीड़न आदि गैर अनुरक्षणामूलक गतिविधियाँ किये जाने पर सम्बंधित अम्पली को प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जायेगा।

*** छात्रवृत्ति-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को समय-समय पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्धारित छात्रवृत्तिका प्रदान की जायेगी।

*** भोजन और आवास-** डीएसटी प्रशिक्षुओं को उद्योग में व्यावहारिक औद्योगिक प्रशिक्षण के दौरान अपने रहने और भोजन की व्यवस्था अपने खर्च पर करनी होगी। जिस हेतु इंटरस्ट्री द्वारा प्रतिमाह लगभग ₹ 8000 स्टेंडर्ड के रूप में दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

स्व-घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST) के अन्तर्गत प्रशिक्षण के सम्बन्ध में उपर्युक्त शर्तों / निर्देशों का मज़ी-भाति अध्ययन कर लिया गया है तथा मैं उपरोक्त शर्तों के अधीन दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (DST) के अन्तर्गत प्रशिक्षण करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करता / करती हूँ।

☒ Accept

Do you wish to apply for 8th pass trades? *

No ▾

Trades available as per your selection :

- Catering & Hospitality Assistant
- Computer Operator and Programming Assistant (COPA)
- Cosmetology
- Draughtsman (Civil)
- Fashion Design & Technology
- Information & Communication Technology System Maintenance
- Mechanic Auto Body Painting
- Mechanic Auto Body Repair
- Solar Technician (Electrical)
- Stenographer Secretarial Assistant (English)
- Stenographer Secretarial Assistant (Hindi)
- Surveyor

WELDER-DST
MECHANIC AUTO BODY PAINTING-DST
WELDER (FABRICATION & FITTING)-DST

Educational Details

10th Details

	Board	Year of Passing	Marking Scheme	Maximum Marks	Obtained Marks	Obtained Percentage
Xth	Uttarakhand Board *▾	2024 *	Percentage *▾	500 *	455 *	91.00 *

Counseling Preference

District Preference 1 *

Hariwar ▾

ITI Preference 1 *

Pirankalyan ▾

Trade Preference 1 *

Welder-Dst ▾

BACK

SAVE & EXIT

NEXT

19. Declaration (घोषणा):- आवेदनपत्र भरते समय अंत में अभ्यर्थी को एक घोषणा पत्र भरना होगा जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, दिनांक एवं स्थान की प्रविष्टि करनी होगी। इसके पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन का पूर्वावलोकन (Preview) कर उसके द्वारा अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों को भली-भाँति जाँच लें यदि किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि अंकित हो गयी हो तो पुनः सुधार किया जा सकता है। आवेदन के Submit होने के उपरान्त किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। सभी प्रविष्टियों की जांच के उपरान्त सही होने पर ही Make Payment ऑप्शन का चयन करें एवं निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन बैंकिंग, यू.पी.आ.ई. आदि विकल्पों के द्वारा करना होगा। भुगतान हो जाने के उपरान्त Electronic Acknowledgement Receipt एवं अभ्यर्थी द्वारा भरे आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लिया जा सकेगा तथा शुल्क भुगतान, ऑनलाईन आवेदन जमा होने की सूचना अभ्यर्थी की ई-मेल आईडी तथा मोबाईल नम्बर पर भी प्रेषित कर दी जायेगी।

Government ITI (NCVET), Uttarakhand Application Form 2025



Personal and Address Details



Educational & Counseling Preference



Upload Details



Declaration Details

100% Complete (mandatory fields)

Step 3 of 5

Upload Details

Upload Your Recent Passport Size Photograph *

Fetch From DigiLocker

Why fetch from DigiLocker?

OR

Choose Files No file chosen

Max Upload Limit 1024 Kb/1 MB Only JPG, PNG and JPEG are allowed

1 File(s) Uploaded

Upload Your 10th Marksheet *

Fetch From DigiLocker

Why fetch from DigiLocker?

OR

Choose Files No file chosen

Max Upload Limit 1024 Kb/1 MB Only JPG, PNG, JPEG and PDF are allowed

1 File(s) Uploaded

Upload Your Reservation Category Certificate *

Fetch From DigiLocker

Why fetch from DigiLocker?

OR

Choose Files No file chosen

Max Upload Limit 1024 Kb/1 MB Only JPG, PNG, JPEG and PDF are allowed

In case you have applied for a certificate, you need to upload your application proof.

1 File(s) Uploaded

Upload Your Horizontal Reservation Certificate *

Fetch From DigiLocker

Why fetch from DigiLocker?

OR

Choose Files No file chosen

Max Upload Limit 1024 Kb/1 MB Only JPG, PNG, JPEG and PDF are allowed

In case you have applied for a certificate, you need to upload your application proof.

1 File(s) Uploaded

Upload Your Uttarakhand Domicile Certificate *

Fetch From DigiLocker

Why fetch from DigiLocker?

OR

Choose Files No file chosen

Max Upload Limit 1024 Kb/1 MB Only JPG, PNG, JPEG and PDF are allowed

In case you have applied for a certificate, you need to upload your application proof.

1 File(s) Uploaded

BACK

SAVE & EXIT

NEXT

उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय एवं उनकी प्रवेश क्षमता

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न रा०औ०प्र०संस्थानों में 36 इन्जीनियरिंग एवं नॉन इन्जीनियरिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिनमें वर्तमान प्रवेश सत्र 2025-26 हेतु व्यवसाय वार / संस्थानवार उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नवत है :-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	जनपदवार एन०सी०वी०ई०टी० मान्यता प्राप्त संस्थानों / व्यवसायों में डीएसटी (Dual System of Training) हेतु रिक्त सीटों का विवरण प्रवेश सत्र अगस्त 2025								योग
			व्यवसायों का नाम								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			इलेक्ट्रीशियन	फिटर	टर्नर	मशीनिस्ट	मैकेनिक मोटर व्हीकल	वैल्डर	वैल्डर (फैब्रिकेशन एण्ड फिटिंग)	मैकेनिक ऑटोमोबाइल पेंटिंग	
1	अल्मोडा	अल्मोडा	20							20	
2	नैनीताल	हल्द्वानी			20	20			20	60	
		टाण्डी						20		20	
		कालादुंगी				24				24	
		बिन्दुखत्ता		20						20	
		रामनगर		20						20	
3	ऊ०सि०नगर	काशीपुर	20	20						40	
		दिनेशपुर						20		20	
		बाजपुर						20		20	
		जसपुर	20							20	
		खटीमा						20		20	
		सितारगंज				24				24	
		वि० पन्तनगर						20		20	
4	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़						20		20	
5	देहरादून	देहरादून(यु०)	20	20						40	
		राजपुर रोड	20	20						40	
		विकासनगर	20	20						40	
6	हरिद्वार	हरिद्वार	20	40	20			20		100	
		नारसन	20	20						40	
		विशिष्ट हरिद्वार		20				20		40	
		पिरानकलियर		20				20		40	
7	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	20							20	
8	पौड़ी	श्रीनगर		20						20	
		दुमडुडा	20							20	
9	टिहरी	नई टिहरी	20	20						40	
		चम्बा						20		20	
10	उत्तरकाशी	बड़कोट		20						20	
		योग	220	280	20	40	48	180	20	20	828

[illegible]

[illegible]

क्रम संख्या	जनपद का नाम	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	जनपदवार एन०सी०वी०ई०टी० मान्यता प्राप्त संस्थानों / व्यवसायों में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों का विवरण प्रवेश सत्र अगस्त 2025																																			योग	
			व्यवसायों का नाम																																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		36
		थलीसैण										20																										20	
		जयहरीखाल																							20													20	
12	टिहरी	नई टिहरी			20	24		20	20	20	24			20							24				20						20							212	
		बौराड़ी																					48				24											72	
		चम्बा		24		20	24			20				20							24		48				24											180	
		अंजनीसैण																						20														20	
		थत्यूड			20																24																	44	
		चमियाला				24																			20													44	
		रजाखेत							20																													20	
		मुनिकीरेती			20																				20													40	
		रौडधार																			24																	24	
		देवप्रयाग				24															24																	48	
13	उत्तरकाशी	बड़कोट		24		20	24		20		24	20			20						24		24		20													220	
		मोरी							20																	20												40	
		उत्तरकाशी							20																	20												40	
		चिन्वालीसौड				24																			20													44	
		योग	100	408	48	1080	744	192	72	960	240	220	360	280	20	620	180	216	48	24	20	672	96	648	144	680	200	120	24	80	40	20	20	24	68	20	100	40	8828

Industrial Training Institute

प्रसारित सीटों की संख्या में कमी / वृद्धि अथवा कम प्रवेश की स्थिति में व्यवसाय संचालन न किये जाने तथा ऐसे प्रवेश को निरस्त किये जाने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों व न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का विवरण

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
1	फिटर	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	विभिन्न धातुओं के कल पुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना, औजारों का सम्पूर्ण ज्ञान।
2	टर्नर	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	खराब मशीनिंग द्वारा पुर्जों का निर्माण, सुण्डी बनाना, धातुओं को आवश्यकतानुसार खराद कर गोल आकार देने का कार्य।
3	मशीनिष्ट	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	विभिन्न प्रकार की मशीनों का कार्य करके विभिन्न प्रकार के गियर, फिटिंग, चाबी काटने सम्बन्धी कार्य।
4	इलेक्ट्रीशियन	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	विद्युत सम्बन्धी कल पुर्जों का ज्ञान मरम्मत, रखरखाव एवं मोटर वाइंडिंग आदि सम्बन्धी ज्ञान।
5	इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	समस्त विद्युतीय चुम्बकीय, वायु तापमापी, वायु दाब और सूक्ष्म मापी यन्त्र का ज्ञान/मरम्मत तथा उसे ठीक करना।
6	रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कन्डीशनिंग रेफ्रिजरेशन	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	रेफ्रिजरेटर एवं एयर कन्डीशनर आदि का ज्ञान/मरम्मत तथा स्थापित करना एवं चलाना।
7	ड्राफ्ट्समैन मेकेनिकल	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	यांत्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार, नाप ड्राइंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided design (CAD) के माध्यम से डिजाइनिंग।
8	ड्राफ्ट्समैन सिविल	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	भवन, पुल आदि का आकार नाप ड्राइंग शीट पर बनाना तथा ब्लू प्रिंट निकालना, Computer Aided design (CAD) के माध्यम से डिजाइनिंग।

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
9	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों, उपकरणों जैसे टीवी,वी.सी.आर. सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि की मरम्मत करना ।
10	वायरमैन	दो वर्ष	आठवीं पास	घरेलू एवं औद्योगिक भवनों की वायरिंग, विद्युत लाईन खींचना, उपकरण खराबी ठीक करना ।
11	मैकेनिक मोटर व्हीकल	दो वर्ष	(10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण/समकक्ष	डीजल, पेट्रोल से चलने वाली छोटी एवं बड़ी गाड़ियों की मरम्मत, पुर्जों का ज्ञान एवं गाड़ियों का चलना ।
12	पेन्टर जनरल	दो वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	सम्पूर्ण पेन्टिंग का कार्य जैसे फर्नीचर, व्हीकल, पर लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य करना ।
13	इन्फॉर्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी सिस्टम मेन्टेनेंस	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण / समकक्ष	सम्पूर्ण जानकारी उसका रखरखाव एवं सूचना सम्बन्धी नई पद्धति की जानकारी आदि ।
14	वैल्डर	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	धातु के बने हुए पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे सिल आदि को गैस एवं विद्युत वैल्डिंग द्वारा जोड़कर
15	कारपेन्टर (वुड वर्क टेक्नीशियन)	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	लकड़ी का फर्नीचर घरेलू सामान आदि का निर्माण करना एवं पॉलिश करना ।
16	सर्वेयर	दो वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	भूमि की ऊपरी सतह, भीतरी भाग का सर्वेक्षण, निर्धारण, सड़क, रेलवे ट्रैक, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करना ।
17	मेकेनिक डीजल	एक वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	डीजल इंजन को चलाने व मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान ।

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
18	प्लम्बर	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	पानी की लाईन टॉटी, टंकी, वाल्व आदि की मरमत एवं सैनेटरी फिटिंग का कार्य
19	मेकेनिक ट्रैक्टर	एक वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	ट्रैक्टर की मरम्मत एवं उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, उसका रखरखाव एवं चलाना।
20	मेकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण / समकक्ष	वाहनों की बॉडी की डेंटिंग एवं अन्य मरम्मत सम्बन्धी कार्य करना।
21	मेकेनिक ऑटो बॉडी पेन्टिंग	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण / समकक्ष	वाहनों की बॉडी पेन्टिंग सम्बन्धी कार्य।
22	स्वीइंग टेक्नोलॉजी	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके गारमेन्ट्स तैयार करना।
23	कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा इन्ट्री प्रोग्रामिंग तथा एप्लीकेशन पैकेजेज को चलाने का ज्ञान।
24	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेन्ट हिन्दी	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	हिन्दी भाषा का सांकेतिक भाषा (आशुलिपि हिन्दी) में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
25	स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटेरियल असिस्टेन्ट अंग्रेजी	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	अंग्रेजी भाषा का सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे कम्प्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग कर कम्प्यूटर पर टंकण करना।
26	कोस्मेटोलोजी	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	ब्यूटीशियन, श्रेडिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल आदि सम्बन्धी कार्य।
27	फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण	आधुनिक प्रकार के परिधानों की स्केचिंग कर डिजाइन करना।
28	ड्रेस मेकिंग	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	आधुनिक प्रकार के परिधानों तैयार करना।

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	प्रशिक्षण अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	प्रशिक्षण उपरान्त कार्य क्षमता का संक्षिप्त परिचय
29	वेल्डर (फेब्रिकेशन एण्ड फिटिंग)	एक वर्ष	आठवीं उत्तीर्ण	धातु के बने हुए पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे सिल आदि को गैस एवं विद्युत वेल्डिंग द्वारा जोड़कर
30	टूल एण्ड ड्राई मेकर	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	परिशुद्ध उपकरण, ड्राई, जिप्स, और फिक्सचर डिजाइनिंग, निर्माण, और रखरखाव सम्बन्धी ज्ञान।
31	मैकेनिक टू एण्ड श्री व्हीलर	एक वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	टू एण्ड श्री व्हीलर को चलाने व मरम्मत करने सम्बन्धी ज्ञान।
32	कैटरिंग एण्ड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण / समकक्ष	होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और कैटरिंग टेक्नोलॉजी सम्बन्धी ज्ञान
33	मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेस	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरण सिस्टम, और मरम्मत तकनीकों से सम्बंधित ज्ञान
34	मैकेनिक मशीन टूल्स	दो वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	मशीनों, यंत्रों के विभिन्न भागों के निर्माण और मरम्मत सम्बन्धी ज्ञान
35	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर	एक वर्ष	विज्ञान एवं गणित विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण	औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए प्लास्टिक प्रोसेसिंग तकनीकों, मशीन संचालन, गुणवत्ता नियंत्रण, और सुरक्षा में कौशल सम्बन्धी ज्ञान
36	सोलर टेक्निशियन (इलेक्ट्रिकल)	एक वर्ष	हाई स्कूल उत्तीर्ण / समकक्ष	सोलर एनर्जी से सम्बंधित यंत्रों और सोलर एनर्जी संयंत्रों के रखरखाव सम्बन्धी ज्ञान

उपरोक्तानुसार व्यवसायवार दर्शायी गयी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डी०जी०टी० भारत सरकार द्वारा व्यवसाय विशेष के लिए निर्धारित की गयी है। ऑनलाइन पोर्टल पर अभ्यर्थी को वे ही व्यवसाय प्रदर्शित होंगे जिनमें प्रवेश पाने की न्यूनतम अर्हकारी शैक्षिक योग्यता उसके पास होगी इसलिए काउंसिलिंग में शैक्षिक योग्यता का कॉलम भली प्रकार देखकर भरें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक कॉलम की शैक्षिक योग्यता रखते हैं, तो तदनुसार भरें। काउंसिलिंग हेतु प्रवीणता सूची के निर्माण के लिये आवेदन पत्र में दर्शाये गये सभी कॉलम में नाम आदि की सही सूचना के साथ न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के पूर्णांक / प्राप्तांक का विवरण त्रुटि रहित रूप से भरें तथा पुष्टि के रूप में सम्बन्धित परीक्षा के अंकपत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें। प्रवेश के समय प्रवेशित संस्थान द्वारा उक्त अभिलेखों का सत्यापन किया जायेगा, भिन्नता की स्थिति में प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी एवं सम्बन्धित सीट अगली काउंसिलिंग हेतु गणना में सम्मिलित कर ली जायेगी।

शासनादेश के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद से उत्तीर्ण अभ्यर्थी राजकीय आई०टी०आई० में चयन हेतु पात्र नहीं हैं। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष परीक्षा के आधार पर चयन हेतु आवेदन करता है तो उसे उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर के समकक्ष होने का प्रमाणपत्र संबंधित जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर के सक्षम अधिकारी से स्वयं प्राप्त कर चयनित राजकीय आई०टी०आई० में देना आवश्यक होगा, इसके अभाव में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

स्वास्थ्य :- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे व्यवसायों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा शरीर में कोई ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवसाय की कार्य दक्षता को सम्पन्न न कर सके। दिव्यांग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु सम्पूर्ण प्रवेश क्षमता का 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य है। इस श्रेणी में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो। प्रवेश के समय अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित हो कि अभ्यर्थी कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग है एवं दिव्यांगता की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है, प्रस्तुत करना होगा। संस्थान में ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश से पूर्व पाठ्यक्रम विशेष हेतु अभ्यर्थी की उपयुक्तता का आंकलन संस्थान स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक नेत्र का बिना चश्मे या चश्मे के साथ दिन के प्रकाश में परीक्षण किये जाने का दोष नहीं होना चाहिए। आंखों की रोशनी दोनों आंखों में 6/18 या एक आंख में 6/24 बिना चश्मे के होना चाहिए। एक आंख वाले अभ्यर्थी जो कलर ब्लाइन्डनेस दोष से मुक्त हो, भी चयन के पात्र है।

प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशों के अधीन निम्नवत् निर्धारित है-

ऊर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation) -

क.सं.	आरक्षित वर्ग	अनुमन्य आरक्षण
1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये	19%
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	4%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये	14%
4	ई.डब्ल्यू.एस.	10%

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

क.सं.	आरक्षित वर्ग	अनुमन्य आरक्षण
1	स्व.सं. सैनानी आश्रितों के अभ्यर्थियों के लिये	2%
2	भू0पू0सैनिकों / अपंग / मृतक सैनिकों के आश्रित	5%
3	विकलांग अभ्यर्थियों के लिये	4%
4	महिला अभ्यर्थियों के लिये	30%

मैरिट लिस्ट तैयार की जानी तथा प्रकाशन की प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदित समस्त अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय मैरिट सूची का प्रकाशन ऑनलाईन पोर्टल पर किया जायेगा।

मैरिट सूची अभ्यर्थी द्वारा 8वीं / माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अलग-अलग बनाई जायेगी। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर से उत्तीर्ण शैक्षिक अर्हता वाले आवेदनकर्ताओं को तीन प्रतिशतांक वरीयता अंक पृथक से आवंटित किये जायेंगे एवं तदनुसार प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी।

प्राप्तांक प्रतिशत की गणना हेतु अभ्यर्थी ने जिस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है, सम्बन्धित बोर्ड द्वारा प्रतिशत गणना हेतु निर्धारित मानक ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपनी अंकतालिका की भली-भांति जाँच / परीक्षण कर ही प्राप्तांक / पूर्णांक का अंकन ऑनलाईन आवेदन में करेंगे। समतुल्य ऐसे बोर्ड, जहाँ प्रतिशतांक के स्थान पर ग्रेड/सी.जी.पी.ए. द्वारा अंकपत्र निर्गत किये जाते हैं, वहाँ सम्बन्धित बोर्ड द्वारा निर्धारित गुणांक से प्रतिशतांक की गणना की जायेगी। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।

एक समान प्रतिशतांक वाले आवेदनकर्ताओं में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि जन्म तिथि भी समान हो तो क्रमशः गणित, विज्ञान के अंक प्रतिशत को मानते हुए उसी क्रम में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी तथा उक्त के भी समान रहने की स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थी के नाम के पहले वर्ण (लैटर) के आधार पर की जायेगी।

काउंसलिंग की प्रक्रिया

ऑनलाईन काउंसलिंग की स्थिति में व्यवसायवार न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर पृथक-पृथक राज्यस्तरीय प्रकाशित मैरिट सूची के अनुसार ऑनलाईन काउंसलिंग की प्रक्रिया संपादित की जायेगी। समस्त अभ्यर्थियों के लिए संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन उनके द्वारा भरे गये विकल्प पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक एवं संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कम्प्यूटर द्वारा किया जायेगा। आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु अंतिम तिथि से पूर्व उपस्थित होकर अभ्यर्थी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की जांच करवायेंगे। साथ ही मूल प्रमाण-पत्रों की एक-एक स्व प्रमाणित छायाप्रति व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा। रिपोर्टिंग के समय अभ्यर्थी के समस्त मूल प्रमाण पत्र संस्थान में जमा कर लिये जायेंगे एवं डीजीईटी के PORTAL पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात् संस्थान द्वारा उक्त प्रमाण पत्र लौटाये जायेंगे। निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा एवं उस स्थान को प्रवेश प्रक्रिया के आगामी चरणों के लिए रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जायेगा। समस्त प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार काउंसलिंग द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों के पश्चात् अवशेष सीटों के सापेक्ष अग्रेत्तर काउंसलिंग की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार सम्पादित की जायेगी।

प्रशिक्षण शुल्क: प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा।

अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा (All India Trade Test)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों हेतु परीक्षा वार्षिक आधार पर होती है अर्थात एक वर्षीय व्यवसायों की परीक्षा एक बार तथा द्विवर्षीय व्यवसायों हेतु 02 बार अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा आयोजित होती है। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को भारत सरकार द्वारा NCVET अंकपत्र व प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाता है। सत्र 2014 से भारत सरकार द्वारा e-marksheet एवं e-certificate उपलब्ध कराये जा रहे हैं जो कि परीक्षा सम्पादित होने पर काफी कम समय में पोर्टल पर उपलब्ध हो जाते हैं तथा उनका सत्यापन भी पोर्टल के माध्यम से ही किया जा सकता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों की यह एक ऐसी परीक्षा है जो पूरे देश में एक ही साथ, एक ही समय पर, एक जैसे पाठ्यचर्या पर आधारित प्रश्न-पत्र पर आयोजित होती है। प्रशिक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार नई दिल्ली स्तर से होता है।

संस्थानों में न्यूनतम उपस्थिति की अनिवार्यता

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षार्थियों हेतु वार्षिक अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित होने तथा उत्तीर्ण होने की स्थिति में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। न्यूनतम उपस्थिति के अभाव में प्रशिक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। यदि कोई प्रशिक्षार्थी बिना किसी सूचना के लगातार 10 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके नाम एक चेतावनी पत्र देने के उपरान्त अनुपस्थिति के संतोषजनक कारण सहित संस्थान में उपस्थित न होने पर संस्थान से नाम पृथक कर दिया जायेगा। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में वार्षिक रूप से 12 दिन का आकस्मिक अवकाश जोकि एक बार में 10 दिन से अधिक न हो, पंजीकृत मेडिकल डॉक्टर से संस्तुति के आधार पर किसी बीमारी हेतु 15 दिन का मेडिकल जोकि एक वर्ष के कोर्स के लिये 03 सप्ताह व दो वर्ष के कोर्स के लिये 06 सप्ताह तक संस्थान के प्रमुख द्वारा स्व: विवेकानुसार अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकता है एवं 10 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश जोकि 15 दिन तक अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकता है।

कैरियर उन्नयन (Career Progression) के अवसर

आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को 10 वीं / 12 वीं उत्तीर्ण की समतुल्यता :

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसे छात्र-छात्राये जिन्होंने कक्षा-8 एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०वी०टी०) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र (एन०टी०सी०) अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०वी०टी०) उत्तराखण्ड द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (10) एवं इण्टरमीडिएट (12) की परीक्षा में केवल हिन्दी विषय में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के पात्र होंगे तथा जिनके द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (12) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर की क्रमशः हाईस्कूल (कक्षा-10) एवं इण्टरमीडिएट (12) के समकक्ष माना जायेगा।

आई०टी०आई० के साथ-साथ शैक्षिक योग्यता में भी वृद्धि के अवसर :

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों की शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने के लिए National Institute of Open Schooling (NIOS) अवसर प्रदान करता है। आई०टी०आई० के अध्ययनरत प्रशिक्षार्थी सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं एवं समय बचा सकते हैं। आई०टी०आई० के अध्ययनरत अभ्यर्थी जो आठवीं पास है वे दसवीं की परीक्षा दे सकते हैं तथा जो 10वीं पास है वे 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं जिसके आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने होते हैं। अभ्यर्थी एक भाषा व एक वर्षीय अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं एवं 3 वर्षीय आई०टी०आई० के क्रेडिट किये जाते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नोएडा द्वारा वर्ष में दो बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, (NIOS) नोएडा के वेबसाइट www.nios.ac.nic पर यह सुविधा उपलब्ध है। जिससे प्रशिक्षार्थी आई०टी०आई० में प्रशिक्षण प्राप्त करते-करते ही अपनी शैक्षिक योग्यता में भी वृद्धि कर सकता है।

प्रशिक्षण पूर्ण करने पर पॉलीटेक्निक में सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश के अवसर :

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी लेटरल एंट्री परीक्षा के माध्यम से द्वितीय वर्ष में पॉलीटेक्निक में प्रवेश ले सकता है और पॉलीटेक्निक उत्तीर्ण करने के उपरान्त इंजीनियरिंग संस्थानों में भी सीधे बी.टेक. के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेकर उच्च तकनीकी शिक्षा भी प्राप्त कर अच्छा रोजगार प्राप्त कर अपने भविष्य में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार ला सकता है।

रोजगार के अवसर :

(1) आईटीआई से प्रशिक्षण / शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थी देश-विदेश के विभिन्न सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों जैसे रेलवे, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, जल संस्थान, जल निगम, लघु जल विद्युत परियोजना, एनएचपीसी, बीएचईएल, उत्तराखण्ड सड़क परिवहन निगम, ओ०एन०जी०सी० आदि विभागों में रोजगार पाने के लिए अर्ह होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों जैसे स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेटरीयल असिस्टेंट, कोपा आदि व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों के लिए भी सरकारी / गैरसरकारी / निजी क्षेत्रों में रोजगार के कई सुअवसर उपलब्ध होते हैं। जिस हेतु भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने में भी NTC प्राप्त अभ्यर्थियों, महिलाओं को स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से सुविधा होती है। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेषतः फैशन डिजाइन टैक्नोलॉजी, बैसिक कॉस्मेटोलॉजी, स्वीईंग टैक्नोलॉजी, ड्रेसमेकिंग, कोपा आदि जैसे व्यवसाय सार्थक सिद्ध हो रहे हैं।

(2) आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के लिए सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ देश में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार के अपार अवसर उपलब्ध हैं। जैसे-मारुति सुजूकी इण्डिया लि०, मै० टाटा मोटर्स, मै० अशोका लेलेण्ड, मै० हीरो मोटोकॉर्प, मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, होण्डा, जे०सी०बी०, वॉल्वो, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, आई०टी०सी०लि०, मै० इण्डियाग्लाइकोल्स, मै० जैक्वार, एचएमटी आदि।

(3) प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त Craftsman Instructor Training Scheme (CITS) कर आई०टी०आई० में अनुदेशक के पद पर नियुक्त होने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी एक वर्षीय

सी.आई.टी.एस प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। सी.आई.टी.एस प्रशिक्षण की सुविधा भिन्न-भिन्न व्यवसायों में देश के विभिन्न शहरों में जैसे-देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, कोलकाता, मुम्बई, हैदराबाद, चैन्नई, जोधपुर, कालीकट आदि में उपलब्ध है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशक पद पर नौकरी पाने के लिए शैक्षिक, व्यावसायिक व अनुभव के साथ-साथ सी०आई०टी०एस० प्रशिक्षण भी अनिवार्य होता है।

स्वरोजगार के अवसर :-

आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी अपने कौशल विकास के जरिये विभिन्न क्षेत्रों जैसे विद्युतकार, प्लम्बिंग ऑटोमोबाईल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कारपेन्टर, पेन्टर, ऑटो बॉडी पेन्टिंग, ऑटो बॉडीरिपेयर, रेफ्रीजरेशन, स्वीईंग, ब्यूटीशियन आदि में अपना स्वयं का उद्यम प्रारम्भ कर स्वतः रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। सफल उद्यमी जहाँ एक ओर स्वतः रोजगार अपना कर अपना सफल जीवन निर्वाह करने के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर उनके जीविकोपार्जन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में कई आई०टी०आई० उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी स्वतः रोजगार के जरिए देश-विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं।



नोट- इस विवरणी में समय-समय पर अपेक्षित संशोधन किये जा सकते हैं।
संशोधित विवरणी वेबसाइट: www.vpputtarakhand.in पर उपलब्ध होगी।



Industrial Training Institute



उत्तराखण्ड राज्य



Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग

प्रशिक्षण प्रखण्ड, व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, देहरादून उत्तराखण्ड